फैक्स/स्पीड पोस्ट

पत्र संख्या-सी/सी0आई0मिस0-4023/2015………………/

बिहार सरकार

गृह (विशेष) विभाग

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक-………………

विषयः- साम्प्रदायिक घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों, घायलों तथा विनष्ट परिसम्पतियों के लिए प्रभावितों को अनुमान्य अनुग्रह अनुदान का भुगतान कराने हेतु आवश्यक राशि आवंटित करने के लिए अपेक्षित अभिलेख के साथ अधियाचना भेजने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि साम्प्रदायिक घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों, घायलों तथा विनष्ट परिसंपतियों के लिए प्रभावितों को अनुमान्य अनुग्रह अनुदान का भुगतान कराने हेतु गृह (विशेष) विभाग द्वारा समय-समय पर अनुग्रह अनुदान के संबंध में निर्गत परिपत्रों में निहित प्रावधानों के अनुसार प्राप्त अधियाचनाओं के आलोक में जिलों को राशि आवंटित की जाती है।

अनुग्रह अनुदान राशि के आवंटन हेतु जिलों से प्राप्त अधियाचना पत्रों के साथ कतिपय आवश्यक अभिलेख संलग्न नहीं रहने के कारण अधियाचित राशि आवंटित करने में कठिनाई होती है तथा संबंधित अभिलेखों के प्राप्ति हेतु पत्राचार करना पड़ता है। फलस्वरूप प्रभावितों को अनुग्रह अनुदान की राशि भुगतान कराने में विलम्ब होता है।

अतः अनुरोध है कि अपने जिले में घटित साम्प्रदायिक घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को अनुगह अनुदान भुगतान कराने हेतु इस संबंध में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अनुमान्य राशि की स्वीकृति देते हुए निम्नलिखित अभिलेख भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए :-

1. जिला पदाधिकारी के स्तर से राशि स्वीकृति संबंधी निर्गत स्वीकृत्यादेश की प्रति।
2. संबंधित साम्प्रदायिक घटना के संबंध में जिला पदाधिकारी का प्रतिवेदन।

विश्वासभाजन,

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः- 7404 पटना, दिनांक 6/7/15

प्रतिलिपिः- आई0 टी0, मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jitendra 06.07.15

सरकार के विशेष सचिव।

SEC C:D:MAH